"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 अप्रैल 2005—वैशाख 9, शक 1927

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2005

क्रमांक ई-7/9/2004/1/2.—श्री व्ही. के. कपूर, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को दिनांक 28-3-2005 से 8-4-2005 तक (12 दिन) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 25 से 27 मार्च, 2005 एवं 9, 10 अप्रैल, 2005 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कपूर, भा. प्र. से. आगामी आदेश तक अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री कपूर, भा. प्र. से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कपूर, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2005

क्रमांक-एफ 4-65/दो/गृह-सी/2001.—चोर बाजारी निवारण और अत्यावश्यक वस्तु प्रदाय बनाये रखना अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 7) की धारा 9 प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, माननीय न्यायमूर्ति श्री धीरेन्द्र मिश्रा, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ को राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुब्रमणियम, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2005

क्रमांक-एफ 4-65/दो/गृह-सी/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के आदेश क्रमांक-एफ 4-65/दो/गृह-सी/2001, रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल, 2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुब्रमणियम, विशेष सचिव.

Raipur, the 6th April 2005

F No. 4-65/Two/Home-C/2001.—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Prevention of Black-marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980 (No. 7 of 1980), the State Government hereby, appoint Hon'ble Shri Justice Dheerendra Mishra, Judge of the High Court of Chhattisgarh, as a member of the State Advisory Boards.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. SUBRAMANIAM, Special Secretary.

रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2005

क्रमांक-एफ 4-65/दो/गृह-सी/2001.—विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का सं. 52) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, माननीय न्यायमूर्ति श्री धीरेन्द्र मिश्रा, न्यायाधीश उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ को राज्य सलाहकार वोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुब्रमणियम, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2005

क्रमांक-एफ 4-65/दो/गृह-सी/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के आदेश क्रमांक-एफ 4-65/दो/गृह-सी/2001, रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल, 2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुब्रमणियम, विशेष सचिव.

Raipur, the 6th April 2005

F No. 4-65/Two/Home-C/2001.—In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (No. 52 of 1974), the State Government hereby appoint Hon'ble Shri Justice Dheerendra Mishra, Judge of the High Court of Chhattisgarh as a member of the State Advisory Boards.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. SUBRAMANIAM, Special Secretary.

रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2005

क्रमांक-एफ 4-65/दो/गृह-सी/2001.—प्रिवेन्शन ऑफ इलिसिट ट्राफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एण्ड सायकोट्राफिक सब्टेन्सेस एक्ट, 1988 (1988 का सं. 46) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, माननीय न्यायमूर्ति श्री धीरेन्द्र मिश्रा, न्यायाधीश उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ को राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुब्रमणियम, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2005

क्रमांक-एफ 4-65/दो/गृह-सी/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के आदेश क्रमांक-एफ 4-65/दो/गृह-सी/2001, रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल, 2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुब्रमणियम, विशेष सचिव.

Raipur, the 6th April 2005

F No. 4-65/Two/Home-C/2001.—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Prevention of Elicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (No. 46 of 1988), the State Government hereby, appoint Hon'ble Shri Justice Dheerendra Mishra, Judge of the High Court of Chhattisgarh, as a member of the State Advisory Boards.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. SUBRAMANIAM, Special Secretary.

रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2005

क्रमांक-एफ 4-65/दो/गृह-सी/2001.—राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 65) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, माननीय न्यायमूर्ति श्री धीरेन्द्र मिश्रा, न्यायाधीश उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ को राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुब्रमणियम, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2005

क्रमांक-एफ 4-65/दो/गृह-सी/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के आदेश क्रमांक-एफ 4-65/दो/गृह-सी/2001, रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल, 2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुब्रमणियम, विशेष सचिव.

Raipur, the 6th April 2005

F No. 4-65/Two/Home-C/2001.—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980), the State Government hereby, appoint Hon'ble Shri Justice Dheerendra Mishra, Judge of the High Court of Chhattisgarh, as a member of the State Advisory Boards.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. SUBRAMANIAM, Special Secretary.

खेल एवं युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2005

क्रमांक 150/681/04-05/9.—राज्य शासन एतद्द्वारा खिलाड़ियों/सांस्कृतिक विधाओं के युवा कलाकारों एवं शारीरिक शिक्षा से संलग्न व्यक्तियों के प्रोत्साहन हेतु सम्मान निधि, नगद राशि पुरस्कार हेतु खेल अलंकरण, खेल वृत्ति (डाइटमनी), खेल संघों को प्रेरणा निधि, ट्रेक सूट प्रदाय, खिलाड़ी जोखिम बीमा, शारीरिक शिक्षा या खेल साहित्य सृजन तथा शारीरिक शिक्षा में शोध कार्य को प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है.

1. **संक्षिप्त नाम-**
यह नियम "प्रोत्साहन नियम, 2005" कहलाएंगे.

2. **परिभाषाएं —**

2.1	राज्य से तात्पर्य	=	छत्तीसगढ़ राज्य से है.
2.2	शासन से तात्पर्य	=	छत्तीसगढ़ शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग से है.
2.3	विभाग से तात्पर्य	=	खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय से है.
2.4	संचालनालय से तात्पर्य	=	संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण से है.
2.5	संचालक से तात्पर्य	=	संचालक, खेल एवं युवा कल्याण से है.
2.6	राष्ट्रीय खेल संघ से तात्पर्य	=	राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित खेल का आयोजन करने हेतु भारतीय ओलम्पिक संघ या युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से है. यदि भारतीय ओलम्पिक संघ तथा भारत सरकार द्वारा एक खेल के अलग-अलग संघों को मान्यता प्रदान की गई हो तो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से है.
2.7	राज्य खेल संघ से तात्पर्य	=	राष्ट्रीय खेल संघ की संलग्नता प्राप्त राज्य इकाई से है.
2.8	अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता से तात्पर्य	=	ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता जिसमें भारतीय खेल दल को भाग लेने हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमति/वित्तीय सहायता प्रदान की गई है तथा जिसमें भारतीय दल को संबंधित राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा भाग लेने हेतु भेजा जा रहा है या भेजा गया है.
2.9	राष्ट्रीय चैम्पियनशिप से तात्पर्य	=	राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित उस प्रतियोगिता से है जिसका विजेता उस वर्ष के लिए अधिकृत तौर पर राष्ट्रीय विजेता कहलाता है.
2.10	सीनियर वर्ग की प्रतियोगिता से तात्पर्य.	=	उस प्रतियोगिता से है जिसमें भाग लेने हेतु आयु संबंधी किसी भी प्रकार की शर्तें न हों.
2.11	सब जूनियर/जूनियर वर्ग की प्रतियोगिता से तात्पर्य.	=	राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा अपने खेल के लिए संबंधित वर्गों हेतु घोषित आयु सीमा के खिलाड़ियों के आयोजित प्रतियोगिता से है.
2.12	मान्यता से तात्पर्य	=	संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण एवं इसके अधीनस्थ जिला कार्यालयों द्वारा मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया के तहत संघ/संस्था को प्रदाय मान्यता से है.
2.13	वर्ष से तात्पर्य	=	01 अप्रैल से 31 मार्च तक की समयावधि से है.

3. **संबंधित खेल/विधाएं—**

इस नियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो निम्नलिखित खेलों/विधाओं से संबंधित खेल संघ, खिलाड़ी एवं संबंधित व्यक्ति प्रोत्साहन प्राप्त कर सकेंगे.

3.1 ओलम्पिक, एशियाड, राष्ट्रमण्डलीय खेल, राष्ट्रीय खेल में सम्मिलित खेल.

3.2 ऐसे खेल जिन्हें भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा विश्वविद्यालय खेलों में सम्मिलित किया गया है.

3.3 ऐसे खेल जिन्हें भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग द्वारा राष्ट्रीय आयोजन हेतु दिए जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाले खेल पुरस्कार, नगद राशि पुरस्कार के लिए विचार क्षेत्र में लिया जाता है.

3.4 ऐसे खेल जो उपरोक्त में से किसी भी कण्डिका में उल्लेखित विवरण में सम्मिलित नहीं है, लेकिन इस नियम के लागू होने की तिथि के पूर्व छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग से आर्थिक सहायता प्राप्त कर चुके हैं.

3.5 वह सांस्कृतिक विधाएं जो राष्ट्रीय युवा उत्सव में सम्मिलित की गई है.

4. **उद्देश्य —**

4.1 इसका उद्देश्य राज्य के उस प्रत्येक खिलाड़ी की उपलब्धियों को मान्यता देने का है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है.

4.2 अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले छत्तीसगढ़ के वयोवृद्ध खिलाड़ियों को जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाने में महती भूमिका निभाई है और जो वर्तमान में आर्थिक दृष्टि से कमजोर है उन्हें उनकी सराहनीय उपलब्धियों के लिए सम्मान स्वरूप वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है.

4.3 राज्य के प्रत्येक युवा को जिसने खेल या सांस्कृतिक गतिविधियों के राष्ट्रीय आयोजन में राज्य के लिए पदक जीता है एवं राज्य का गौरव बढ़ाया है उसे अपने प्रदर्शन को और उम्दा करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना है. साथ ही अन्य युवाओं को खेल या सांस्कृतिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करना है.

4.4 राज्य के युवा खिलाड़ियों को जिनमें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का संभावनाएं हैं उन्हें प्रेरणा एवं आर्थिक सहयोग प्रदान करना है ताकि वे पौष्टिक आहार, खेल उपकरण आदि ले सके.

4.5 राज्य के खेल संघों को जो राज्य में प्रत्येक जिले में अपने खेल के विकास हेतु कार्य कर रहे हैं, जो राज्य के प्रत्येक जिले में अपने खेल से संबंधित उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं. जो राज्य में समान रूप से विभिन्न आयु वर्ग एवं लिंग की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजन के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उनसे संबंधित खिलाड़ी पदक भी प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे खेल संघों की गतिविधियों की प्रशंसा करना तथा उन्हें प्रेरणा स्वरूप सम्मानित करना है.

4.6 राज्य के युवाओं को जो राष्ट्रीय खेल आयोजन या राष्ट्रीय सांस्कृतिक आयोजन में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें राज्य की ओर से एकरूप परिधान उपलब्ध करना है, ताकि उनमें दल भावना विकसित हो तथा उनकी एकरूप पहचान बन सकें. इसके माध्यम से उनमें आत्मविश्वास भी विकसित करना है ताकि वे राज्य का गौरव बढ़ाने हेतु और जुझारू बन सकें.

4.7 राज्य के खिलाड़ियों को अपने खेल प्रदर्शन का सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु प्रेरित करना ताकि वे प्रतियोगिताओं के दौरान अधिक से अधिक जोखिम उठाकर जीतने के लिए संघर्ष कर सके तथा किसी दुर्घटना की स्थिति में उपचार हेतु उन्हें आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े.

4.8 राज्य के खेल व्यक्तियों को जो शारीरिक शिक्षा तथा खेल साहित्य के सृजन का कार्य कर रहे हैं या शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित करना है, ताकि इस क्षेत्र में परिष्कृत आधुनिक धारणा विकसित हो सकें तथा राज्य में खेल विकास की दर को गति मिल सकें.

5. **प्रोत्साहन —**

5 (अ) सम्मान निधि —

5 (अ) 1. पात्रता —

5 (अ) 1.1 खिलाड़ी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो तथा छत्तीसगढ़ की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेते हुए अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित हुआ हो.

5 (अ) 1.2 खिलाड़ी उपरोक्त नियम 1.1 के अनुसार चयनित होते हुए ओलम्पिक, एशियाड, राष्ट्रमण्डलीय खेल, वर्ल्ड चैम्पियनशिप/वर्ल्ड कप (सीनियर वर्ग) में पदक प्राप्त किया हो या अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट सिरीज/वनडे सिरीज विजेता दल का सदस्य हो.

5 (अ) 1.3 खिलाड़ी की उम्र उसकी जन्मतिथि के आधार पर 60 वर्ष पूर्ण हो गई हो.

5 (अ) 1.4 ऐसे खिलाड़ी जो भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा उसके किसी उपक्रम में सेवारत हैं अथवा पेंशनरत हैं इसके लिए पात्र नहीं होंगे.

5 (अ) 1.5 ऐसे खिलाड़ी जो आयकर दाता हैं वे भी इसके पात्र नहीं होंगे.

5 (अ) 2. सामान्य नियम —

5 (अ) 2.1 ऐसे खिलाड़ी जो इन नियमों के लागू होने के पूर्व से सम्मान निधि प्राप्त कर रहे हैं उन पर इसके पात्रता संबंधी नियम लागू नहीं होंगे.

5 (अ) 2.2 सम्मान निधि जीवन पर्यन्त देय होगी.

5 (अ) 2.3 राज्य शासन सम्मान निधि की राशि में परिवर्तन कर सकेगा.

5 (अ) 3. सम्मान निधि की राशि —

5 (अ) 3.1 सम्मान निधि की राशि रु. 3,000=00 प्रतिमाह होगी. जोकि स्वीकृति आदेश की तिथि से भुगतान योग्य मानी जाएगी.

5 (ब) राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त खिलाड़ियों तथा अन्य को नगद राशि पुरस्कार हेतु अलंकरण —

5 (ब) 1. सामान्य नियम —

5 (ब) 1.1 यह पुरस्कार राशि इन नियमों में सम्मिलित की गई खेल विधाओं के राष्ट्रीय चैम्पियनशिप, राष्ट्रीय खेल, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित महिला खेल उत्सव, ग्रामीण खेल प्रतियोगिता, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित भारत सरकार से मान्यता प्राप्त विकलांग खेल तथा भारत सरकार युवा कार्य एवं खेल विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय युवा उत्सव में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों या युवा दल के सदस्यों के लिए होगी.

5 (ब) 1.2 यदि किसी प्रतियोगिता में दल या खिलाड़ी/युवा कलाकार को संयुक्त विजेता, संयुक्त उप विजेता या संयुक्त तृतीय स्थान मिला हो तो ऐसी स्थिति में पुरस्कार राशि उस स्थान के लिए निर्धारित पुरस्कार राशि का आधा या उसके निचले स्तर के लिए निर्धारित पुरस्कार के बराबर, जो भी अधिक हो निर्धारित होगी.

5 (ब) 1.3 एक वित्तीय वर्ष में खिलाड़ी/युवा कलाकार की पृथक-पृथक उपलब्धियों के लिए नगद राशि पुरस्कार की गणना की जाएगी तथा जिस उपलब्धि के लिए उसे सबसे ज्यादा राशि मिल सकती है उसी उपलब्धि के लिए उसे नगद राशि पुरस्कार दिया जाएगा. इस प्रकार एक खिलाड़ी को एक वित्तीय वर्ष में किसी एक खेल की एक सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि के लिए ही पुरस्कृत किया जाएगा चाहे उसने एक से अधिक खेलों या एक से अधिक प्रतियोगिताओं में पदक क्यों न प्राप्त किया हो.

5 (ब) 1.4 खिलाड़ियों के नाम राज्य स्तरीय खेल संघ द्वारा निर्धारित समयावधि में अग्रेषित किए जाएंगे. संचालनालय को अधिकार होगा कि वह अपने स्तर से भी पदक प्राप्त खिलाड़ियों/युवा कलाकारों के नामों पर इस पुरस्कार के लिए विचार कर सकता है.

5 (ब) 1.5 उक्त पुरस्कार राशि उस प्रत्येक खिलाड़ी/युवा कलाकार को प्राप्त होगी जिसने पदक प्राप्त किया है या पदक प्राप्त करने वाले दल का सदस्य है. दलीय एवं व्यक्तिगत खेलों/सांस्कृतिक विधाओं के लिए पृथक-पृथक राशि निर्धारित नहीं की गई है.

5 (ब) 2. नगद पुरस्कार राशि हेतु अंलकरण —

5 (ब) 2.1 राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में सीनियर, जूनियर एवं सब जूनियर वर्ग के पदक विजेता खिलाड़ियों को नगद राशि पुरस्कार के साथ-साथ खेल अलंकरण से भी सम्मानित किया जायेगा. इसमें नगद राशि के साथ-साथ खिलाड़ी को खेल अलंकरण प्रमाण-पत्र दिया जाएगा. जो विभिन्न आयु वर्गों के लिए निम्नलिखित होंगे.

1. राष्ट्रीय खेल चैम्पियनशिप सीनियर वर्ग के लिए
   - (अ) स्वर्ण पदक हेतु - छत्तीसगढ़ खेल शिखर, स्वर्ण अलंकरण
   - (ब) रजत पदक हेतु - छत्तीसगढ़ खेल शिखर, रजत अलंकरण
   - (स) कांस्य पदक हेतु - छत्तीसगढ़ खेल शिखर, कांस्य अलंकरण

2. राष्ट्रीय खेल चैम्पियनशिप जूनियर वर्ग के लिए
   - (अ) स्वर्ण पदक हेतु - छत्तीसगढ़ खेल गौरव, स्वर्ण अलंकरण
   - (ब) रजत पदक हेतु - छत्तीसगढ़ खेल गौरव, रजत अलंकरण
   - (स) कांस्य पदक हेतु - छत्तीसगढ़ खेल गौरव, कांस्य अलंकरण

3. राष्ट्रीय खेल चैम्पियनशिप सब जूनियर वर्ग के लिए
   - (अ) स्वर्ण पदक हेतु - छत्तीसगढ़ खेल अंकुर, स्वर्ण अलंकरण
   - (ब) रजत पदक हेतु - छत्तीसगढ़ खेल अंकुर, रजत अलंकरण
   - (स) कांस्य पदक हेतु - छत्तीसगढ़ खेल अंकुर, कांस्य अलंकरण

5 (ब) 2.2 उपरोक्त अलंकरण के साथ-साथ निम्नांकित अन्य प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं को निम्नानुसार नगद राशि पुरस्कार दिये जाएंगे —

क्र.	प्रतियोगिता का नाम	उपलब्धि/पदक के आधार पर पुरस्कार राशि		
		प्रथम/स्वर्ण	द्वितीय/रजत	तृतीय/कांस्य
1.	राष्ट्रीय खेल या राष्ट्रीय चैम्पियनशिप (सीनियर) अंतर्राष्ट्रीय विशेष ओलम्पिक (विकलांग).	पच्चीस हजार	बीस हजार	पंद्रह हजार
2.	महिला खेल ग्रामीण खेल राष्ट्रीय युवा उत्सव राष्ट्रीय विकलांग खेल राष्ट्रीय चैम्पियनशिप (जूनियर).	पंद्रह हजार	दस हजार	सात हजार
3.	राष्ट्रीय चैम्पियनशिप (सब जूनियर)	दस हजार	पांच हजार	चार हजार

5 (स) खेलवृत्ति (डाइटमनी) —

5 (स) 1. सामान्य नियम —

5 (स) 1.1 खेलवृत्ति विगत वर्ष की समयावधि के दौरान राज्य/राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के आधार पर दी जाएगी.

5 (स) 1.2 एक खिलाड़ी को अधिकतम तीन वर्षों तक खेलवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी, विशेष प्रकरण में जबकि खिलाड़ी ने निरंतर अच्छा प्रदर्शन कर पदक प्राप्त किया हो यह सीमा कुल पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है.

5 (स) 1.3 खेलवृत्ति के लिए खिलाड़ी तब तक पात्र होगा जब तक वह राज्य में निवास कर रहा हो एवं राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करता हो.

5 (स) 1.4 शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय/सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारी को खेलवृत्ति की पात्रता नहीं होगी.

5 (स) 1.5 यदि किसी खिलाड़ी को भारतीय खेल प्राधिकरण, राज्य शासन के किसी अन्य विभाग, किसी सार्वजनिक उपक्रम से उसकी खेल उपलब्धियों के लिए खेलवृत्ति या नगद राशि पुरस्कार जिसका मूल्य इस खेलवृत्ति से अधिक है, किसी वित्तीय वर्ष में भुगतान प्राप्त/स्वीकृत हुआ हैं तो उस वित्तीय वर्ष में खिलाड़ी को इस खेलवृत्ति की पात्रता नहीं होगी.

5 (स) 1.6 भारतीय खेल प्राधिकरण या राज्य शासन के खेल छात्रावास का नियमित छात्रावासी या डे बोर्डिंग योजना के तहत सुविधा प्राप्त खिलाड़ी खेलवृत्ति को प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं होगा. लेकिन राज्य शासन आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित क्रीड़ा परिसरों के आदिमजाति एवं जनजाति वर्ग के छात्रावासी इसके लिए पात्र होंगे.

5 (स) 1.7 जिस वर्ष के लिए वृत्ति का आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा हो उस वर्ष में 31 दिसम्बर को खिलाड़ी की आयु 19 वर्ष पूर्ण किया नहीं होना चाहिए लेकिन यदि खिलाड़ी ने अपनी आयु के 19वें वर्ष में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में पदक प्राप्त किया है तो पदक प्राप्त करते रहने की स्थिति में यह आयु सीमा 22 वर्ष पूर्ण नहीं किया होने तक बढ़ाई जा सकेगी.

5 (स) 1.8 विशेष कारणों से खेलवृत्ति की राशि कम करने एवं संख्या वृद्धि करने का परिवर्तन वांछित होने पर परिवर्तन के लिए संचालक सक्षम होंगे.

5 (स) 1.9 खेलवृत्ति की राशि के साथ-साथ खिलाड़ियों को प्रमाण-पत्र भी दिए जाएंगे.

5 (स) 2. विशेष नियम—

5 (स) 2.1 खेलवृत्ति दो स्तरों में प्रदाय की जाएगी.
(अ) जिला स्तर
(ब) राज्य स्तर

5 (स) 2.2 प्रत्येक स्तर पर सब जूनियर, जूनियर एवं सीनियर वर्ग के खिलाड़ी विचार क्षेत्र में लिए जाएंगे.

5 (स) 3. पात्रता —

5 (स) 3 (अ) जिला स्तर

5 (स) 3 अ. 1 जिला स्तर की खेलवृत्ति प्रत्येक जिले में 25 खिलाड़ियों को दी जाएगी विशेष परिस्थितियों में या पात्रतानुसार इस सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है.

5 (स) 3 अ. 2 जिला स्तर पर एक खेल में अधिकतम 05 खिलाड़ियों को खेलवृत्ति दी जाएगी जिसमें सब जूनियर, जूनियर एवं सीनियर प्रत्येक वर्ग में कम से कम एक-एक खिलाड़ी होगा.

5 (स) 3 अ. 3 यदि अन्य खेलों में पात्र खिलाड़ी नहीं मिलते हैं तो एक खेल में पांच से अधिक खिलाड़ियों को यह वृत्ति दी जा सकती है.

5 (स) 3 अ. 4 खिलाड़ी ने विगत वर्ष संबंधित जिले या जिले के अन्तर्गत कार्यरत इकाई की ओर से राज्य चैम्पियनशिप में भाग लिया हो तथा व्यक्तिगत खेलों के मामले में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया हो, दलीय खेलों के मामले में विजेता या उपविजेता स्थान प्राप्त किया हो

या

उपरोक्तानुसार भाग लेते हुए राष्ट्रीय.चैम्पियनशिप में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो.

5 (स) 3 (ब) राज्य स्तर —

5 (स) 3 ब. 1 ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने विगत वर्ष राज्य चैम्पियनशिप में व्यक्तिगत खेलों में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान तथा दलीय खेलों में विजेता एवं उपविजेता स्थान प्राप्त किया हो साथ ही उसी इवेंट/खेल एवं वर्ग में विगत वर्ष राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो इस वृत्ति के लिए विचार क्षेत्र में लिए जाएंगे.

5 (स) 3 ब. 2 व्यक्तिगत खेलों के मामले में प्रत्येक खेल के प्रत्येक इवेंट में एक-एक खिलाड़ी पुरुष एवं महिला वर्ग दोनों में पृथक-पृथक तथा दलीय खेलों के मामले में प्रत्येक खेल में "प्लेइंग मेम्बर" की संख्या तक पुरुष एवं महिला वर्ग दोनों में पृथक-पृथक यह खेलवृत्ति प्रदान की जाएगी.

5 (स) 3 ब. 3 उपरोक्त नियम ब-2 के अनुसार निर्धारित संख्या सब जूनियर, जूनियर एवं सीनियर वर्ग में पृथक-पृथक निर्धारित की जाएगी.

5 (स) 3 ब. 4 राज्य स्तर पर उपरोक्तानुसार पात्रता रखने वाले सभी योग्य खिलाड़ियों को खेलवृत्ति प्रदान की जाएगी, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इस संख्या को कम किया जा सकता है.

5 (स) 4 खेलवृत्ति की राशि —

5 (स) 4.1 खेलवृत्ति वार्षिक होगी तथा उसका मूल्य जिला एवं राज्य स्तर पर प्रत्येक वर्ग में निम्नानुसार होगा.

क्र.	स्तर	प्रत्येक वर्ग में राशि (रुपए)		
		सब जूनियर	जूनियर	सीनियर
1.	जिला	1,800	2,400	3,000
2.	राज्य	2,400	3,000	3,600

5 (स) 4.2 यदि खेलवृत्ति प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को इसे प्राप्त करने के लिए उसके जिले की अतिरिक्त किसी अन्य जिले में आमंत्रित किया जाता है तो उसका यात्रा व्यय विभाग वहन करेगा.

5 (द) खेल संघों को प्रेरणा निधि —

5 (द) 1 पात्रता

5 (द) 1.1 संचालनालय से मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय खेल संघ इसके लिए विचार क्षेत्र में लिए जाएंगे.

5 (द) 1.2 राज्य खेल संघ द्वारा विगत वर्ष प्राप्त किए गए अनुदान/आर्थिक सहायता का उपयोगिता प्रमाण-पत्र संचालनालय में प्रस्तुत कर दिया हो.

5 (द) 1.3 विगत वर्ष की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेल में राज्य संघ के माध्यम से भाग लेने हेतु भेजे गए खिलाड़ियों ने सब जूनियर, जूनियर, सीनियर आयु वर्ग के लिए पुरुष या महिला संवर्ग में पदक प्राप्त किया हो.

नोटः- यह उपलब्धि तभी मान्य की जाएगी जब पदक प्राप्त करने वाले दल के सभी खिलाड़ी या व्यक्तिगत खेल का खिलाड़ी छत्तीसगढ़ में अध्ययनरत/कार्यरत/निवासरत हो.

5 (द) 1.4 किसी एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त प्रेरणा निधि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही संघ आगामी प्रेरणा निधि प्राप्त करने के लिए पात्र होगा.

5 (द) 1.5 राज्य खेल संघ को इसकी पात्रता तभी होगी जबकि संबंधित वर्ग (आयु वर्ग, लिंग वर्ग) की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन कर संघ ने पदक प्राप्त खिलाड़ियों का चयन किया हो तथा उस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में राज्य के कम से कम 60% जिला इकाईयों की भागीदारी रही हो.

5 (द) 1.6 दलीय खेलों के संबंध में यह पात्रता तभी होगी जब कम से कम पांच जिलों से खिलाड़ी, दल के प्रथम प्लेइंग मेम्बर के रूप में चुने गए हों या पूरे दल में कम से कम आठ जिलों से खिलाड़ी सम्मिलित किए गए हों.

नोटः- ऐसे खेल जिनमें व्यक्तिगत एवं दलीय दोनों प्रतियोगिता होती है. यह नियम लागू नहीं होगा.

5 (द) 2. सामान्य नियम —

5 (द) 2.1 प्रेरणा निधि का उपयोग खेल संघ अपनी कार्यकारणी द्वारा अनुमोदित कार्यों के लिए कर सकेंगे.

5 (द) 2.2 जिस वित्तीय वर्ष में राज्य खेल संघ को प्रेरणा निधि प्राप्त हो उसके आगामी वित्तीय वर्ष में निर्धारित समय सीमा तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में विभाग द्वारा संघ को प्रदाय की जाने वाली अन्य आर्थिक सहायता/अनुदान की स्वीकृति रोकी जा सकती है.

5 (द) 2.3 एक वित्तीय वर्ष में जिस स्तर के पदक (कांस्य/रजत/स्वर्ण) के लिए प्रेरणा निधि प्रदाय की गई है. उससे अगले वित्तीय वर्ष में उसी संवर्ग में (सब जूनियर, जूनियर, सीनियर) तथा उसी वर्ग में (पुरुष, महिला) कम से कम विगत वर्ष के बराबर उपलब्धि प्राप्त होने पर ही प्रेरणा निधि प्राप्त होगी.

5 (द) 3. प्रेरणा निधि की राशि —

5 (द) 3.1 प्रेरणा निधि की राशि खेल संघों की उपलब्धियों के आधार पर पुरुष एवं महिला वर्ग में पृथक-पृथक निम्नानुसार स्वीकृत की जाएगी.

वर्ग	प्राप्त पदक के आधार पर स्वीकृति के लिए राशि रुपए में					
	व्यक्तिगत खेल			दलीय खेल		
	कॉस्य पदक	रजत पदक	स्वर्ण पदक	कॉस्य पदक	रजत पदक	स्वर्ण पदक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सब जूनियर	2,000 प्रति पदक अधिकतम 6,000	3,000 प्रति पदक अधिकतम 10,000	5,000 प्रति पदक अधिकतम 15,000	6,000	10,000	15,000
जूनियर	3,000 प्रति पदक अधिकतम 9,000	5,000 प्रति पदक अधिकतम 16,000	7,000 प्रति पदक अधिकतम 25,000	9,000	16,000	25,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सीनियर	5,000 प्रति पदक अधिकतम 15,000	7,000 प्रति पदक अधिकतम 30,000	10,000 प्रति पदक अधिकतम 50,000	15,000	30,000	50,000

5 (द) 3.2 किसी एक खेल संघ को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम रु. एक लाख तक स्वीकृत किए जा सकेंगे.

5 (इ) राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को ट्रेक सूट तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने वाले युवाओं को परिधान —

5 (इ) 1. पात्रता एवं सामान्य नियम —

5 (इ) 1.1 विभाग से मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय खेल संघ इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करने के पात्र होंगे.

5 (इ) 1.2 ऐसे राज्य खेल संघ जिनके वार्षिक व्यय को उद्योगों से प्रायोजित किया गया हो वे आवेदन के पात्र नहीं होंगे.

5 (इ) 1.3 उन खिलाड़ियों को जो छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में भाग लेने हेतु चयनित किए गए हैं तथा वास्तव में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में भाग ले रहे हैं के लिए ट्रेक सूट प्राप्त करने की पात्रता होगी.

5 (इ) 1.4 सब जूनियर, जूनियर एवं सीनियर वर्ग के पुरुष एवं महिला खिलाड़ियों तथा प्रत्येक दल के एक मैनेजर एवं एक प्रशिक्षक के लिए यह पात्रता होगी. दल मैनेजर विभाग द्वारा मनोनीत किया जाएगा. यदि खेल के नियमों में प्रशिक्षक की संख्या एक से ज्यादा मान्य की गई हो तो अधिकतम दो प्रशिक्षकों के लिए इसकी पात्रता होगी.

5 (इ) 1.5 एक दल में उस खेल के नियमानुसार जितने खिलाड़ियों की सदस्यता हो सकती है उतनी संख्या तक ही दल में खिलाड़ियों की संख्या मान्य होगी.

5 (इ) 1.6 खेल संघ पर्याप्त समय पूर्व खिलाड़ियों का चयन कर कम से कम 7 दिवस का प्रशिक्षण शिविर आयोजित करेंगे. प्रशिक्षण शिविर के समापन अवसर पर विभागीय प्रतिनिधि द्वारा दल सदस्यों को ट्रेक सूट वितरण किया जाएगा.

5 (इ) 1.7 ट्रेक सूट का रंग, डिजाइन, क्वालिटी एवं उसमें प्रिंटिंग मैटर के निर्धारण एवं क्रय का अधिकार विभाग को होगा.

5 (इ) 1.8 निर्धारित समय पूर्व खेल संघ द्वारा आवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाने पर ट्रेक सूट प्रदाय रोका जा सकता है. खेल संघ द्वारा इस हेतु पृथक से आर्थिक सहायता की मांग स्वीकार नहीं की जाएगी.

5 (इ) 1.9 एक खिलाड़ी/दल सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में मात्र एक ट्रेक सूट प्रदान किया जाएगा चाहे उसने एक से अधिक बार इस वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग क्यों न लिया हो.

5 (इ) 2.0 यदि किसी कारणवश खेल संघ राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जाने के पूर्व ट्रेक सूट प्राप्त करने में असफल रहता है तो राष्ट्रीय प्रतियोगिता से वापस आने के बाद ट्रेक सूट प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी.

5 (इ) 2.1 राष्ट्रीय युवा उत्सव में भाग लेने वाले कलाकार, संगतकार, दल मैनेजर जिन्हें विभाग द्वारा राष्ट्रीय युवा उत्सव में भाग लेने हेतु भेजा जाये उन्हें विभाग की ओर से परिधान प्रदाय किया जावेगा. परिधान का रंग डिजाइन, क्वालिटी एवं उसमें प्रिंटिंग मेटर के निर्धारण एवं क्रय का अधिकार विभाग का होगा.

5 (फ) खिलाड़ी जोखिम बीमा —

5 (फ) 1. पात्रता एवं सामान्य नियम —

5 (फ) 1.1 विभाग से मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय खेल संघ इस हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगे.

5 (फ) 1.2 यह बीमा उन खिलाड़ियों के लिए होगा जो राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ या भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.

5 (फ) 1.3 ऐसे खिलाड़ी जो राज्य खेल संघ या राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा अधिकृत एवं मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं में भाग लेने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं उनके उपचार हेतु बीमा कराया जा सकेगा.

5 (फ) 1.4 बीमा प्रीमियम का 50% राज्य खेल संघ को वहन करना होगा 50% राशि विभाग वहन करेगा.

5 (फ) 1.5 राज्य खेल संघ बीमा कम्पनी का चयन करने हेतु स्वतंत्र होगा.

5 (फ) 1.6 प्रति खिलाड़ी प्रतिवर्ष अधिकतम रु. 200/- बीमा प्रीमियम के लिए स्वीकृत किए जा सकेंगे.

5 (ह) शारीरिक शिक्षा या खेल साहित्य सृजन तथा शारीरिक शिक्षा में शोध कार्य को प्रोत्साहन—

5 (ह) 1. शारीरिक शिक्षा या खेल साहित्य सृजन को प्रोत्साहन, सामान्य नियम—

5 (ह) 1.1 यह प्रोत्साहन छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों को दिया जाएगा.

5 (ह) 1.2 शारीरिक शिक्षा या खेल साहित्य का सृजन लेखक की मौलिक कृति होना चाहिए जिसे विधिवत् प्रकाशित किया गया हो.

शारीरिक शिक्षा या खेल साहित्य की विषयवस्तु विद्यालयों/महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम से संबंधित होनी चाहिए. खेल साहित्य में इन नियमों में सम्मिलित खेलों के संबंध में नियमों की व्याख्या, प्रशिक्षण की योजना, कौशल एवं तकनीक का विवरण या उस खेल के संबंध में नवीनतम जानकारियां होनी चाहिए.

5 (ह) 1.3 शारीरिक शिक्षा या खेल साहित्य के लेखन/प्रकाशन के पूर्व उसकी विषयवस्तु के साथ संचालनालय में लेखक को अपना पंजीयन करना होगा. लेखक का पंजीयन उसकी कृति की विषयवस्तु मान्य होने पर किया जाएगा.

5 (ह) 1.4 एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम पांच लेखकों को तथा एक लेखक का उसके जीवन काल में एक बार यह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी.

5 (ह) 1.5 यदि लेखक द्वारा अपनी कृति का विक्रय मूल्य रखा गया है तो उसे प्राप्त होने वाली राशि के बराबर मूल्य की पुस्तकें संचालनालय में जमा करनी होगी. यदि कृति का विक्रय मूल्य नहीं रखा गया है तो कृति के उतनी प्रतियां जितना संचालनालय उचित समझे संचालनालय में जमा करना होगा.

5 (ह) 1.6 इस हेतु अधिक रु. पांच हजार की प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जाएगी.

5 (ह) 2. शारीरिक शिक्षा में या शोध कार्य को प्रोत्साहन, सामान्य नियम—

5 (ह) 2.1 यह प्रोत्साहन छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों को दिया जाएगा.

5 (ह) 2.2 आवेदक ने शारीरिक शिक्षा विभाग या यदि शारीरिक शिक्षा विभाग किसी अन्य विभाग के अन्तर्गत हो तो उस विभाग के अन्तर्गत शोध कार्य के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में शोध कार्य हेतु विधिवत् पंजीयन कराया हो.

5 (ह) 2.3 शोध कार्य की विषयवस्तु ऐसी होनी चाहिए जिससे छत्तीसगढ़ राज्य के खेल जगत यथा खेल विभाग, शिक्षा/ आदिमजाति कल्याण विभाग, अन्य विभाग जो खेल का आयोजन करते हैं खेल संघ आदि की

खेल नीति एवं योजना में उन्नयन के सुझाव प्राप्त होवे साथ ही राज्य में प्रतिभावान खिलाड़ियों की खोज के उपाय, राज्य में विभिन्न क्षेत्र जहां खेल प्रतिभाएं प्राकृतिक रूप से मौजूद हो सकती है उसके चिन्हीकरण में सहायक हो. संक्षेप में शोध कार्य की विषयवस्तु ऐसी होनी चाहिए जो सामान्य अध्ययन न होते हुए प्रथमतः एवं विशेष रूप में राज्य की खेल संस्कृति एवं उपलब्धियों के उन्नयन में उपयोगी हो.

5 (ह) 2.4 एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम चार शोधकर्त्ताओं को यह प्रोत्साहन उपलब्ध होगा तथा एक व्यक्ति को उसके जीवन काल में केवल एक बार प्राप्त होगा.

5 (ह) 2.5 शोधकर्त्ताओं को अपने शोध से संबंधित विषयवस्तु एवं शोधकार्य पंजीयन संबंधी प्रमाण के साथ आवेदन करना होगा.

5 (ह) 2.6 इस हेतु अधिकतम दस हजार रु. की प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जाएगी.

6. **प्रोत्साहन-वितरण/भुगतान—**

6.1 खेलवृत्ति खेल संघों को प्रेरणा निधि पदक प्राप्त खिलाड़ियों एवं अन्य को नगद पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को दिए जाएंगे जिला स्तर की खेलवृत्ति जिला मुख्यालय में तथा अन्य उपरोक्त प्रोत्साहन राज्य में किसी निर्धारित स्थान में दिए जाएंगे.

6.2 यदि खिलाड़ियों/संबंधित व्यक्तियों को उनके जिले की सीमा के बाहर किसी अन्य स्थान पर उपरोक्त प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु आमंत्रित किया जाता है तो यात्रा का न्यूनतम किराया विभाग द्वारा वहन किया जाएगा तथा यदि आवश्यक हुआ तो आयोजन स्थल पर उनके आवास एवं भोजन की व्यवस्था विभाग द्वारा निःशुल्क की जाएगी.

6.3 सम्मान निधि संबंधित खिलाड़ी को प्रतिमाह विभाग के खिलाड़ी से संबंधित जिला कार्यालय में भुगतान की जाएगी.

6.4 राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को ट्रेक सूट का प्रदाय विभागीय प्रतिनिधि द्वारा राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में भाग लेने के पूर्व लगाए गए प्रशिक्षण शिविर के समापन अवसर प्रदाय किए जाएंगे एवं खिलाड़ियों का ग्रुप फोटोग्राफ लिया जाएगा. इस अवसर पर समस्त खिलाड़ियों को एकत्र करना संबंधित खेल संघ का उत्तरदायित्व होगा. अनुपस्थित सदस्य का ट्रेक सूट विभाग द्वारा रोका जाकर अस्वीकृत किया जा सकता है.

6.5 शारीरिक शिक्षा या खेल साहित्य सृजन के लिए प्रोत्साहन राशि के लिए पंजीयन के समय प्रथमतः सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाएगी. सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने की तिथि से 12 कैलेण्डर माह तक यह सैद्धांतिक स्वीकृति वैध होगी. सैद्धांतिक स्वीकृति की अवधि विशेष कारणों से चालू वित्तीय वर्ष की सीमा तक बढ़ाने का अधिकार संचालक को होगा. सैद्धांतिक स्वीकृति की अवधि में संचालनालय में उसकी प्रकाशित प्रतियां जमा करने के पश्चात् भुगतान किया जाएगा.

6.6 शारीरिक शिक्षा में शोध कार्य के लिए प्रोत्साहन राशि हेतु प्रथमतः सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाएगी जो स्वीकृति जारी करने की तिथि से 36 कैलेण्डर माह तक वैध होगी. उस परिस्थिति में जबकि शोधकर्त्ता ने अपना शोधकार्य उक्त अवधि में विश्वविद्यालय में शोधकार्य संबंधी उपाधि के लिए प्रस्तुत कर दिया हो. सैद्धांतिक स्वीकृति की अवधि उक्त प्रस्तुतिकरण का परिणाम प्राप्त होने तक बढ़ाने का अधिकार संचालक को होगा.

शोधकर्त्ता को शोधकार्य संबंधी उपाधि प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर शोधकार्य की प्रति संचालनालय में जमा करने के पश्चात् राशि भुगतान की जाएगी.

7. **आवेदन प्रस्तुत करने की समयावधि—**

7.1 खेलवृत्ति, खेल संघों को प्रेरणा निधि पदक प्राप्त खिलाड़ियों एवं अन्य को नगद पुरस्कार हेतु 15 अप्रैल से 31 मई तक. संचालक को इसे 15 जुलाई तक बढ़ाने का अधिकार होगा.

7.2 सम्मान निधि, शारीरिक शिक्षा या खेल साहित्य सृजन, शारीरिक शिक्षा में शोधकार्य को प्रोत्साहन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि निर्धारित नहीं की जा रही है.

7.3 ट्रेक सूट प्रदाय हेतु ट्रेक सूट प्रदाय की जाने वाली तिथि से कम से कम 21 दिवस पूर्व.

7.4 खिलाड़ी जोखिम बीमा हेतु प्रतियोगिता आयोजन के 30 दिवस पूर्व.

8. आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया—

8.1 आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र में दो प्रतियों में संबंधित जिले के खेल विभाग के कार्यालय में निर्धारित समयावधि में जमा करना होगा. अधूरे एवं अस्पष्ट आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा.

8.2 खेलवृत्ति, खेल संघों को प्रेरणा निधि, पदक प्राप्त खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार, ट्रेक सूट, खिलाड़ी जोखिम बीमा के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ट-अ में संलग्न है.

8.3 सम्मान निधि, शारीरिक शिक्षा या खेल साहित्य सृजन, शारीरिक शिक्षा में शोध कार्य को प्रोत्साहन हेतु आवेदन का प्रारूप परिशिष्ट- ब से संलग्न है.

9. स्वीकृति की प्रक्रिया —

9.1 सम्मान निधि की स्वीकृति हेतु संचालक द्वारा शासन को अनुशंसा प्रेषित की जाएगी स्वीकृति संबंधी कार्यवाही शासन स्तर से पूर्ण की जाएगी.

9.2 खेलवृत्ति, खेल संघों को प्रेरणा निधि, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त खिलाड़ियों तथा अन्य को नगद राशि पुरस्कार, खिलाड़ी जोखिम बीमा, शारीरिक शिक्षा या खेल साहित्य सृजन तथा शारीरिक शिक्षा में शोध कार्य को प्रोत्साहन हेतु संचालक द्वारा नियमानुसार स्वीकृति जारी की जाएगी स्वीकृति राशि एकमुश्त प्रदान की जाएगी.

10. सामान्य नियम—

10.1 जहां आवश्यक होगा विभिन्न प्रोत्साहन की स्वीकृतियों की अनुशंसा हेतु संचालक द्वारा समिति गठित की जायेगी एवं समिति की अनुशंसा पर स्वीकृति का अंतिम निर्णय संचालक द्वारा किया जायेगा. संचालक का निर्णय अंतिम और सभी हितग्राहियों पर बाध्यकारी होगा तथा इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है.

10.2 प्रथम दृष्टि में उपयुक्त प्रतीत होते हुए भी संबंधित हितग्राही की उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए संबंधित की खेल उपलब्धियों की आगे जांच पड़ताल और खोजबीन करने का अधिकार विभाग अपने पास रखता है.

10.3 ऐसा माना जायेगा कि जिस हितग्राही के नाम की अनुशंसा उसके स्वयं के द्वारा या किसी अन्य स्रोत से प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है उस हितग्राही ने इन सभी नियमों को पढ़ लिया है पूरी तरह से समझ लिया है एवं स्वीकार कर लिया है.

11. निरसन —

इस नियम के प्रभावशील होते ही इससे संबंधित समस्त प्रचलित नियम, आज्ञाएं और विज्ञप्तियां निरस्त हो जाएंगी लेकिन उनके अधीन दी गई स्वीकृतियां इस नियम के अधीन दी गई या किए गए समझे जाएंगे.

12. संशोधन—

शासन इन नियमों में संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन/शिथिलीकरण करने हेतु सक्षम होगा.

13. प्रभावशीलता —

उक्त नियम राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील माने जाएंगे तथापि इसके जारी होने के दिनांक से क्रियांवित किए जा सकेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सरजियस मिन्ज, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 29 मार्च 2004

रा. प्र. क्र./85/अ-82/4.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सीतापुर	सीतापुर	0.829	वन मण्डलाधिकारी, दक्षिण सरगुजा वन मण्डल-अंबिकापुर.	वन विभाग के अंतर्गत अर्जित भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुवा, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 9 फरवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	खरसिया	1.546	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग-रायगढ़.	बाम्हनपाली से रेल्वे गोदाम (बाय पास) सड़क निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 जनवरी 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	भेलवाटिकरा प. ह. नं. 15	0.182	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण, बिलासपुर.	केलो सेतु पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 जनवरी 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	उर्दना प. ह. नं. 14	0.308	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण, बिलासपुर.	केलो सेतु पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 जनवरी 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कुसमुरा प. ह. नं. 3	0.502	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कंढीटार जलाशय योजना हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 फरवरी 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लाग नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	मौहापाली	1.555	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग-रायगढ़.	बाम्हनपाली से रेल्वे गोदाम (बाय पास) सड़क निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

रायगढ़, दिनांक 12 जुलाई 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 28/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कोतरा प. ह. नं. 9	0.061	उप प्रबंधक पावर ग्रिड, रायगढ़.	विंध्याचल स्टेज III के तहत 400/200 के.वी. उपकेन्द्र हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 मार्च 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/196.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	सराईपाली प. ह. नं. 04	0.392	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	धुरकोट उप वितरक नहर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 31 जनवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/3 अ/82 वर्ष 02-03/29.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	नगरी	भीतररास	0.23	कार्यपालन यंत्री, म.ज.प. बांध संभाग क्र. 2, रूद्री.	सोन्डूर प्रदायक नहर के अंतर्गत भटका पारा नहर के निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, ज़िला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 6 जनवरी 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03 अ-82/1998-99.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	कुनकुरी	गट्टीबुडा प. ह. नं. 22	2.142	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	लोवरसीरी व्यपवर्तन के बायीं मुख्य नहर चैन क्रमांक 397 से 408 तथा केरसई शाखा नहर चैन क्रमांक 0 से 70 तक के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 6 जनवरी 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04 अ-82/1998-99.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	कुनकुरी	ठेठेटांगर प. ह. नं. 6	2.597	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	लोवरसीरी व्यपवर्तन के दायीं मुख्य नहर चैन क्रमांक 160 से 220 तथा ठेठेटांगर शाखा नहर चैन क्रमांक 0 से 60 तक के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 8 फरवरी 2005

क्रमांक 508/अ.वि.अ./भू-अर्जन/अ/82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	साल्हेतराई प. ह. नं. 40	0.95	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग महासमुन्द (छ. ग.).	खुरसीपहार जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 25 जनवरी 2005

क्रमांक 12/अ-82/03-04 भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 को उपधारा (1), के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	खैरझिंटी प. ह. नं. 10	1.41	कार्यपालन यंत्री, मनियारी संभाग मुंगेली, जिला बिलासपुर.	घोघरा व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य (वेस्ट वियर).

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 13 जनवरी 2005

क्रमांक 258/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची.

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	मालाडबरी प. ह. नं. 2	2.71	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	बहेराभांठा जलाशय के शाखा नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (स.) राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है:-

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2004

क्र./13/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर.	तखतपुर	ढनढन	1.803	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कोटा.	नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2004

क्र./27/अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	बीजा	4.381	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कोटा.	नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 29 मार्च 2004

रा.प्र.क्र. 337/82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सीतापुर
- (ग) नगर/ग्राम-सीतापुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.829 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
817	0.049
	0.004
823	0.032
822/1	0.303
828/1	0.121
829	0.065
830	0.251
831	0.004
योग	0.829

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-वन विभाग के अंतर्गत अर्जित भूमि.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुवा, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 2 मार्च 2005

क्रमांक 1409/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-डोंड़के, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-22.771 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2	2.876
26	0.849
9	1.424
7	0.458
23, 28/2	1.100
27	0.413
8/1, 14/1, 16/1	0.809
8/2, 14/2, 16/2	1.336
20/1, 21/1	1.629
8/3, 14/3, 16/3	0.300
10/5, 13/2	0.389
19/1	1.651
20/2, 21/2	0.170
20/4, 21/4	0.166
20/5, 21/5	0.809
20/3, 21/3	0.166
46/3	0.077
46/8	0.648
140	0.821

(1)	(2)
46/1	0.093
46/2	0.093
22/3	0.125
22/5	0.122
22/7	0.121
22/9	0.121
138/1	1.846
41	0.388
42, 44	1.983
138/2	0.898
22/2	0.082
5	0.367
22/1	0.125
22/4	0.125
22/6	0.085
22/8	0.021
22/10	0.085
योग	22.771

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोंगरा बैराज परियोजना के अंतर्गत डुबान क्षेत्र.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 9 मार्च 2005

क्रमांक 1553/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-गातापार, प. ह. नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-84.76 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
1/1	6.00
1/4	2.92
5/4	0.50
12/6	2.34
2	1.38
7	2.10
1/5	2.90
5/1	0.50
8	14.50
12/5	2.67
3	8.25
9	0.52
1/2	2.90
5/2	0.50
10	13.53
12/1	1.80
4	1.10
11	7.14
1/3	2.90
5/3	0.50
12/4	0.88
17	8.15
6	0.40
16	0.38
योग	84.76

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-गंजी गंजा जलाशय के अंतर्गत बांध पार डुबान एवं उलट निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 21 मार्च 2005

क्रमांक 1833/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-छुईखदान

(ग) नगर/ग्राम-बकरकट्टा, प. ह. नं. 22

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.56 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
184/2	0.24
184/4	0.26
203	0.48
180	0.28
187	0.06
188	0.70
181	0.20
179	0.45
204	0.38
209	0.15
28/3	0.67
92	0.31
205	0.40
208	0.02
214	0.42
217/1	0.60
219/3	0.50
219/2	0.31
91	0.13
योग 18	6.56

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बकरकट्टा जलाशय के मुख्य नहर एवं माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 1 अप्रैल 2005

क्रमांक 2161/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-राजनांदगांव

(ग) नगर/ग्राम-भरेगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.66 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
411/1	0.17
411/2	0.17
411/3	0.16
412	0.15
417/2	0.06
418/1	0.16
419/2	0.14
420	0.06
421	0.33
426	0.10
418/2	0.16
योग 11	1.66

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सुरगी-भरेगांव-खुटेरी मार्ग के कि.मी. 9/2 पर शिवनाथ पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 1 अप्रैल 2005

क्रमांक 2162/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-खुंटेरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.42 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
479/2	0.07
480/4, 480/5	0.35
योग 3	0.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सुरगी-भर्रेगांव-खुटेरी मार्ग के कि.मी. 9/2 पर शिवनाथ नदी पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 अप्रैल 2005

क्रमांक 2213/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-मोतीपुर, प.ह.नं. 62
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.437 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2	0.104
3	0.088
7	0.007
8	0.004
9	0.077
13	0.100
56/1	0.016
56/2	0.032
58	0.021
68/3	0.117
57	0.049
61	0.028
63	0.025
60	0.031
62	0.019
64	0.038
67/1	0.023
68/1	0.045
68/2	0.010
69	0.072
72	0.040
74	0.080
75	0.072
78	0.024
79	0.077
80	0.087
178	0.040
209	0.020
81	0.007
71	0.012

(1)	(2)
76	0.072
योग 31	1.437

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोंगरा बैराज के चारभांठा माइनर नहर निर्माण हेतु. (मोतीपुर)

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा परियोजना) जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 अप्रैल 2005

क्रमांक 2214/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अंबागढ़ चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-तेलीटोला, प.ह.नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.925 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
198/3	0.016
198/2	0.180
196/1	0.024
196/3	0.096
197/4	0.036
197/2	0.036
196/4	0.048
196/2	0.067
236	0.027
237	0.048
292/1, 293/1	0.118
293/2	0.036
292/2, 293/3	0.041
291	0.020
294	0.029
295	0.047
296	0.008
226/2	0.073
220/1	0.112
226/1, 227	0.012
220/2	0.112
219/1	0.062
219/2	0.048
219/3	0.026
218/1	0.070
218/2	0.040
217	0.136
201/1	0.016
201/2	0.032
234/8	0.025
234/5	0.045
234/23	0.042
240/1	0.012
234/16	0.070
234/20	0.061
234/22	0.030
234/19	0.012
234/4	0.012
योग 38	1.925

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोंगरा बैराज के ब्राम्हणभेड़ी माइनर नहर निर्माण हेतु. (तेलीटोला)

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा परियोजना) जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 अप्रैल 2005

क्रमांक 2215/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-अंबागढ़ चौकी
(ग) नगर/ग्राम-केकतीटोला, प.ह.नं. 07
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.763 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	338	0.020
	344	0.143
	345	0.134
	347	0.135
	348	0.092
	349/1	0.241
	349/2	0.170
	353	0.193
	354/2	0.294
	355	0.115
	359	0.096
	358	0.130
योग	12	1.763

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोंगरा बैराज के कान्हे माइनर नहर निर्माण हेतु. (केकतीटोला)

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा परियोजना) जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 अप्रैल 2005

क्रमांक 2216/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-अंबागढ़ चौकी
(ग) नगर/ग्राम-गुण्डरदेही, प.ह.नं. 09
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.428 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	429/2	0.042
	429/11	0.018
	429/10	0.072
	429/8	0.080
	429/7	0.216
योग	5	0.428

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोंगरा बैराज के ब्राम्हणभेड़ी माइनर नहर निर्माण हेतु. (गुण्डरदेही)

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा परियोजना) जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 अप्रैल 2005

क्रमांक 2217/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-अंबागढ़ चौकी
(ग) नगर/ग्राम-ब्राम्हणभेड़ी, प.ह.नं. 09
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.420 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
36/1	0.128
42/4	0.008
42/5	0.072
55	0.040
56	0.064
54	0.112
57/6	0.096
57/1	0.032
439/2	0.096
438	0.084
437	0.025
410/2	0.012
425	0.072
424	0.072
423/1	0.062
426/1	0.035
426/2	0.035
422/14	0.048
422/6	0.072
422/12	0.040
422/13	0.040
422/10	0.072
422/4	0.088
429/10	0.076
429/9	0.076
429/1	0.112
429/11	0.104
429/4	0.074
322/1	0.036
323/3	0.008
325	0.092
326	0.028
349	0.030
350	0.036
351	0.045
347/1	0.096
347/2	0.058
346	0.052
345	0.052
344	0.040
योग 40	2.420

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोंगरा बैराज के ब्राम्हणभेड़ी माइनर नहर निर्माण हेतु. (ब्राम्हणभेड़ी)

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा परियोजना) जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 अप्रैल 2005

क्रमांक 2218/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अंबागढ़ चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-सांगली, प.ह.नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.899 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4	0.008
5	0.031
6	0.152
7/1	0.049
9/1	0.031
10	0.122
13/1	0.102
13/2	0.057
14/1	0.027
14/2	0.040
14/3	0.040

(1)	(2)
14/4	0.144
16/3	0.017
17/2	0.089
20/1	0.072
20/2	0.061
21/1	0.010
22	0.166
23	0.049
24	0.010
25	0.045
281	0.166
282/1	0.051
282/2	0.079
283	0.081
78/1	0.200
योग 26	1.899

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोंगरा बैराज के करियाटोला माइनर नहर निर्माण हेतु. (सांगली)

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा परियोजना) जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 दिसम्बर 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/2004/731/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-जवाली, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.93 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
57/4, 58/3	0.05
46, 47, 48/2, 49/2	0.07
39/2	0.05
44, 45	0.14
43	0.12
33/2	0.17
33/1	0.02
39/1	0.01
34	0.15
35	0.25
36/2	0.10
258	0.06
200	0.07
268	0.09
259/2	0.09
261/2	0.07
263	0.01
264/1	0.06
264/2	0.05
264/3	0.01
275	0.04
274	0.19
273	0.05
42	0.01
योग	1.93

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-जवाली वितरक नहर के पुरेना माइनर क्रमांक 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 दिसम्बर 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/2004/735/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-किरारी, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.77 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
1314/2	0.02
1296/1	0.09
1314/6	0.05
1314/4	0.08
1318/2	0.16
1319	0.03
1296/3	0.08
1297	0.03
1288	0.18
1294/2	0.08
1286	0.16
1259/2	0.08
1259/7	0.09
1259	0.08
1258	0.28
1257/6, 7, 8	0.13
1259/1	0.11
1260	0.04
योग	1.77

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-जवाली वितरक नहर के पुटीडीह माइनर क्रमांक 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 दिसम्बर 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/2004/739/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-भजपुर, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.23 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
66	0.35
76	0.23
77/1, 79/1	0.22
78/2	0.03
80/1	0.23
80/3	0.10
80/2	0.07
योग	1.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-जवाली वितरक नहर के छवारीपाली माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 दिसम्बर 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/2004/743/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा
(ख) तहसील-डभरा
(ग) नगर/ग्राम-किरारी, प. ह. नं. 12
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.99 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1231/1	0.01
1231/2	0.06
1231/5	0.09
1232/1	0.23
1232/2	0.04
1352/2	0.11
1353	0.23
1354/3	0.19
1233/2	0.03
योग	0.99

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-जवाली वितरक नहर के छवारीपाली माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 दिसम्बर 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/2004/745/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा
(ख) तहसील-डभरा
(ग) नगर/ग्राम-मुक्ता, प. ह. नं. 16
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.11 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
295	0.11
योग	0.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मुक्ता वितरक नहर के मुक्ता माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 दिसम्बर 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/2004/747/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा
(ख) तहसील-डभरा
(ग) नगर/ग्राम-पुरैनाबुढ़ा, प. ह. नं. 14
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.07 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
62/2 क	0.20
62/2 ख	0.14
132	0.73
योग	1.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-जवाली वितरक नहर में पुरैनाबुढ़ा माइनर क्र. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 दिसम्बर 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/2004/749/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-अमलडीहा, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.20 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
173/2, 174/2	0.20
योग	0.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मुक्ता वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 दिसम्बर 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/2004/751/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-मढ़वा, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.94 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
561/2 क	0.21
562/1	0.06
562/2	0.06
563/1	0.07
563/2	0.07
688	0.21
563/3	0.07
563/4	0.08
564	0.22
685/1	0.22
686/1	0.14
687/2	0.06
689/1 ग	0.08
689/4	0.10
728/2, 728/3, 728/4	0.29
योग	1.94

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-गोपालपुर वितरक नहर के सिरौली माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 दिसम्बर 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/2004/753/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-किरारी, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.78 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1318/1	0.26
1319/1	0.04
1337/1	0.17
1338/2	0.15
1338/1	0.02
1339/1	0.02
1339/2	0.08
1334	0.04
योग	0.78

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-जवाली वितरक नहर में जवाली माइनर क्र. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 दिसम्बर 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/2004/755/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-सिरौली, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.24 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
236/6, 237	0.14
238/2	0.11
239	0.34
242/1	0.27
244	0.04
245/1	0.10
246	0.09
248/2, 248/3, 248/4	0.15
योग	1.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-गोपालपुर वितरक नहर के सिरौली माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 दिसम्बर 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/2004/757/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-पुरैनाबुढ़ा, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.74 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
475/1	0.20
498/1	0.16
498/2	0.15
498/4	0.23
योग	0.74

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-जवाली वितरक नहर में जवाली माइनर क्र. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 दिसम्बर 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/2004/759/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-जवाली, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.36 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
156	0.15
157/3	0.21
178/3	0.15
157/7	0.15
182	0.09
177/2, 178/4	0.04
178/5	0.16
183	0.02
185	0.10
186/1	0.04
186/2	0.09
187	0.08
188/2	0.08
योग	1.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-जवाली वितरक नहर के छवारीपाली माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 दिसम्बर 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/2004/761/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-भैंसामुहान, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.63 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
13, 14/1	0.01
17	0.10
14/2	0.15
15/1	0.12
15/2	0.06
16	0.19
योग	0.63

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-गोपालपुर वितरक नहर के सिरौली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 दिसम्बर 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/2004/763/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा
(ख) तहसील-डभरा
(ग) नगर/ग्राम-मढ़वा, प. ह. नं. 20
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.24 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
60/3	0.02
62/1	0.20
65/1	0.01
91/5	0.08
89/1	0.21
89/3	0.18
90	0.03
91/1, 92/1	0.04
91/3, 92/3	0.06
91/4, 92/4	0.06
93	0.10
94	0.01
98/2	0.05
98/1	0.19
योग	1.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-गोपालपुर वितरक नहर के डोमनपुर माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 दिसम्बर 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/2004/800/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा
(ख) तहसील-डभरा
(ग) नगर/ग्राम-जवाली, प. ह. नं. 14
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.19 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
87/2	0.51
198/3	0.03
208	0.10
207/2	0.06
395	0.15
84	0.09
132	0.18
218, 221/9	0.08
379	0.15
906	0.17
80/1	0.13
79	0.11
69/2	0.20
70	0.18
72	0.15
221/1	0.06
221/2	0.06
221/3	0.06
221/5	0.12
221/11	0.05
222/1	0.10
222/2	0.11
590	0.03
578	0.06
223/4	0.03
223/2	0.06
217/1	0.09
197/5	0.13
210/3	0.10
210/2	0.02
82, 83	0.01
198/2	0.14
380	0.04
198/1	0.14

(1)	(2)
205	0.24
199	0.03
206/2	0.07
381	0.04
898/1	0.01
382	0.07
569/2	0.06
378/3	0.17
394	0.01
577	0.43
396/1	0.04
398	0.07
397/1	0.15
591	0.15
401/1	0.31
911/1	0.06
911/2	0.24
911/4	0.02
912/2	0.22
907/3	0.12
योग	6.19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-जवाली वितरक नहर में जवाली माइनर क्र. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 मार्च 2005

क्रमांक 166/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-भांटा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.101 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
440/6	0.101
योग	0.101

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-भांटा ब्रांच माइनर नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 मार्च 2005

क्रमांक 167/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बेल्हाभांठा, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.077 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
102/2	0.065
133/1	0.012
योग	0.077

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-बड़ेमुड़पार सब डिवाय नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 मार्च 2005

क्रमांक 168/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सेरो, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.278 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	92/5	0.016
	21/5, 21/6	0.117
	22/2	0.008
	92/4	0.020
	49/2	0.028
	33/1	0.020
	88/5	0.069
योग	7	0.278

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सेरो सब डिस्ट्री-ब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 मार्च 2005

क्रमांक 169/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-कुसमुल, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.190 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	423/1	0.061
	423/2	0.053
	423/3	0.012
	462/5	0.024
	462/15	0.040
योग		0.190

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-फरसवानी माइनर नहर निर्माण हेतु. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 मार्च 2005

क्रमांक 170/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सिंधरा, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.073 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1109/3	0.028

(1)	(2)
1109/4	0.045
योग	0.073

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सिंधरा माइनर नहर निर्माण हेतु. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 मार्च 2005

क्रमांक 171/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सिंधरा, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.144 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
448/11	0.020
451	0.024
448/10	0.008
448/3	0.020
453/5	0.040
497/2	0.032
योग	0.144

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-छोटे कोट माइनर नहर निर्माण हेतु. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 मार्च 2005

क्रमांक 172/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-सुखापाली, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.108 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
39/16	0.032
41/4	0.036
42	0.040
योग	0.108

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सुखापाली ब्रांच माइनर नहर निर्माण हेतु. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 मार्च 2005

क्रमांक 173/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बड़े मुड़पार, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.408 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
606/1	0.032
513	0.020
605/2	0.028
604/8	0.028
489/4	0.133
443/4, 8	0.024
239/3	0.040
239/2 ग	0.061
607/13	0.064
605/1	0.121
163/3	0.081
159	0.061
150/3	0.040
155/1	0.057
165, 166/3	0.028
154/3	0.032
503	0.040
605/4	0.032
605/5	0.053
596	0.057
504/2, 4	0.081
605/13	0.028
145/1 घ	0.085
144, 146	0.182
योग 24	1.408

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-बड़े मुड़पार सब डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 मार्च 2005

क्रमांक 174/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-खर्री, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.142 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
71	0.016
54/1	0.045
38/1	0.032
84	0.049
योग	0.142

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-खर्री माइनर नहर निर्माण हेतु. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 मार्च 2005

क्रमांक 175/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-चुरतेला, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.544 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
547/1	0.016

(1)	(2)
546/2	0.049
544/2	0.032
543	0.162
576, 579	0.134
582/1	0.028
577/1	0.077
578	0.012
581/2, 3, 7, 5	0.028
320/3, 322/1, 323/1	0.081
328/2	0.040
322/2, 323/2, 324	0.024
336/7	0.089
243	0.053
152/1	0.040
204/4	0.081
236	0.008
199/4	0.040
199/2	0.040
932/1	0.097
936/1	0.032
936/5	0.008
516/4	0.061
199/1	0.065
928/6	0.061
927/1	0.049
928/4	0.040
928/5	0.053
547/2	0.024
548	0.020
योग 30	1.544

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सिंधरा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 मार्च 2005

क्रमांक 176/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजैपुर
(ग) नगर/ग्राम-लालमाटी, प. ह. नं. 20
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.133 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
161	0.004
147/4	0.004
163/2	0.004
143/6	0.121
योग	0.133

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-भनेतरा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 मार्च 2005

क्रमांक 177/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजैपुर
(ग) नगर/ग्राम-बरेकेल खुर्द, प. ह. नं. 21
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.368 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
338/3	0.004
166/1 क	0.008
168/3, 362/3	0.004

(1)	(2)
168/5, 362/5	0.008
168/6, 362/6	0.016
347	0.012
407/1	0.008
408	0.008
409/1	0.004
335, 336	0.028
325/2	0.004
323/5	0.004
168/9, 362/9	0.073
323/6	0.004
332	0.008
323/2	0.004
353	0.002
451/4	0.008
323/8	0.016
451/5	0.004
453	0.016
168/8, 362/8	0.040
311	0.085
योग	0.368

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-बरेकेल ब्रांच माइनर 1 R.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 मार्च 2005

क्रमांक 178/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-कनेटी, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.260 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
39/7	0.101
48	0.049
54/1	0.055
55/1	0.027
55/5	0.028
योग 5	0.260

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-चारपारा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 1 फरवरी 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/3 अ/82 वर्ष 02-03/35.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-नगरी
- (ग) नगर/ग्राम-भीतररास
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.23 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
739/1	0.09

(1)	(2)
739/2	0.14
योग	0.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सोन्दूर प्रदायक नहर के अंतर्गत भटका पारा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2005

क्रमांक 232/3/वा-1/भू-अर्जन/03/अ/82 वर्ष 03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-गरियाबंद
(ग) नगर/ग्राम-घुमरापदर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.58 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
344	0.04
346	0.12
347	0.11
351	0.55
391/1	0.22
391/2	0.21
391/3	0.21
407	0.06
409	0.04
410	0.11
411	0.19
412	0.19
413	0.20
414	0.12
417	0.21
योग 15	2.58

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-घुमरापदर जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 2 मार्च 2005

क्रमांक 02/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-बिल्हा
(ग) नगर/ग्राम-पिरैया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.16 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
59/8	0.22
63/1	0.24
63/4, 63/5	0.13
64/3	0.25
64/5	0.20
79/1	0.07
79/2	0.18
81/1	0.25
81/3	0.29
91	0.05
92/1	0.09
92/2	0.25
98/1	0.12
98/2	0.26
99/2	0.06
99/3	0.06
534	0.16
535/2	0.16
535/3	0.16
535/4, 535/5	0.22
537/1	0.13
538/2	0.11
539/1	0.17
596/1	0.14
600/16	0.12
600/17	0.07
योग 26	4.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिलासपुर व्यपवर्तन योजना माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 मार्च 2005

क्रमांक 04/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-कनेरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.72 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1	0.72
योग	0.72

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिलासपुर व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 मार्च 2005

क्रमांक 36/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-कनेरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.34 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
5/1	0.21
6	0.85
8/2	0.15
8/5	0.27
8/4	0.25
14	0.81
135	0.37
138/2	0.19
152/2	0.23
155	0.45
156/3	0.51
165/1	0.24
166	0.25
167/3	0.27
167/5	0.25
172	0.79
173/4	0.16
348/2	0.41
349	0.18
350/1	0.97
350/2	0.16
355	0.37
योग 22	8.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिलासपुर व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 मार्च 2005

क्रमांक 38/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-खुड़ियाडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.21 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
200/2	0.17
200/3	0.59
214	0.33
215/2	0.08
217	0.25
218	0.75
219/2	0.33
220	0.47
221	0.48
224/1	0.20
224/3	0.41
227	0.21
229	0.73
230	0.21
योग 14	5.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिलासपुर व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 मार्च 2005

क्रमांक 39/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-पिरैया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.31 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
578/2	0.29
586	0.02
योग 2	0.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिलासपुर व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 मार्च 2005

क्रमांक 40/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-दुरूगडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.16 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
8/2 क	0.30
8/3	0.26
8/4	0.26
12/1, 4	0.24
12/5	0.22
15/1	0.05
15/2	0.30
23	0.35
24	0.15
212/1	0.02
योग 10	2.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिलासपुर व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 मार्च 2005

क्रमांक 41/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-उड़गन
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.53 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
24	1.38
25, 26 / 1	0.16
25, 26 / 2	0.16

(1)	(2)
25 | 3 26 |	0.16
25 | 4 26 |	0.50
25 | 5 26 |	0.17
27, 30	0.61
28, 29	1.07
31	0.50
122	0.60
123	0.40
124	0.40
131, 133	0.42
योग	6.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-पौंसरी जलाशय योजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 मार्च 2005

क्रमांक 5/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

(ख) तहसील-कोटा

(ग) नगर/ग्राम-लूफा, प.ह.नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.117 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
34/1, 342	0.117
योग	0.117

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-चूनाखोदरा जलाशय के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 मार्च 2005

क्रमांक 7/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

(ख) तहसील-कोटा

(ग) नगर/ग्राम-बहेरामुड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.494 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
265/1	0.186
408/2	0.061
395/2	0.081
538	0.146
545/5	0.016
324/2	0.729
231/1 ग	0.069
293/2, 395/1	0.032
405/1	0.024
553/2	0.057

(1)	(2)
287	0.093
योग 11	1.494

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कार्यालय एवं सेन्दरी पानी जलाशय मुख्य नहर निर्माण हेतु अनिवार्य भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 मार्च 2005

क्रमांक 8/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-पचरा, प.ह.नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-19.625 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
165	0.223
162	0.388
163, 164	0.647
219	0.045
218/3	0.121
218/2	0.263
144/2	0.072
145/2	0.068
174	0.644
222	0.166
239	0.182
106	0.352
196/4	2.274
104/1	0.372
242	0.259
196/3	0.729
172/3	0.441
172/4	0.433
172/5	0.364
175/1	1.320
113/3	0.202
128	0.425
263/2	0.138
257/4	0.441
281/2	0.405
282/1	0.607
282/5	0.607
282/14	0.607
257/1	0.085
257/3	0.162
273	2.023
274	0.809
257/2	0.162
172/1	0.206
172/2	0.174
226	0.129
113/1	0.060
141	0.081
272/1 ङ	0.567
272/1 घ	0.551
272/1 ग	0.607
272/1 ख	0.607
272/1 क	0.607
योग 43	19.625

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-चांपी जलाशय के डूबान कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 मार्च 2005

क्रमांक 9/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-बांसाझाल, प.ह.नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.008 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
19/1भ	2.024
19/1 क/72	0.842
58/1	0.599
110/3	0.243
111	0.057
60	0.243
योग	4.008

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-चांपी जलाशय के डूबान कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 मार्च 2005

क्रमांक 13/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-मोहदा, प.ह.नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.827 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
407/2	0.020
429	0.061
409/1	0.045
420/3	0.085
418/2	0.020
432/2	0.109
420/1	0.113
425/1	0.040
634/2	0.020
418/1	0.020
634/4	0.040
634/1	0.065
630/1	0.142
572/8	0.020
572/13	0.081
631/दु.	0.057
631/दु.	0.040
419	0.045
469/1	0.045
602/5	0.113
469/4	0.085
599/2	0.069
582/1	0.024
466/5	0.040
635	0.028
469/3	0.049
471/2	0.040
602/4	0.045
630/3	0.040
630/2	0.101
602/3	0.040

(1)	(2)
425/3	0.045
599/1	0.040
योग 33	1.827

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-चांपी जलाशय के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 मार्च 2005

क्रमांक 14/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-डोंगी, प.ह.नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.627 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1/1	0.081
4/1-5	0.113
12/3 ग	0.028
6	0.028
12/3 च	0.028
12/4 ख	0.028
12/3 क	0.093
180/1	0.057
183/2	0.081
7/4	0.045
10/5	0.045
योग	0.627

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-चांपी जलाशय के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 मार्च 2005

क्रमांक 15/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव, प.ह.नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.834 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
672	0.093
693/1	0.045
692/1	0.097
658/4	0.121
658/9	0.040
696/1	0.069
696/2	0.012
695	0.109
700	0.089
702	0.045

(1)	(2)
703	0.045
704	0.069
योग	0.834

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-चांपी जलाशय के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 मार्च 2005

क्रमांक 16/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-तिलकडीह, प.ह.नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.238 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
120	0.045
111/4	0.036
104, 103	0.073
115/2	0.028
115/4	0.024
106	0.032
योग	0.238

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-चांपी जलाशय के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 मार्च 2005

क्रमांक 17/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-बीरगहनी, प.ह.नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.481 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
785	0.085
1066	0.024
1185	0.045
786	0.053
789	0.016
787	0.045
1064/1	0.024
1092	0.073
788	0.049
1010	0.012
793	0.045
790	0.089
927	0.016
1172	0.028
802	0.069
1069	0.045
803	0.049
814	0.016
815	0.016
845	0.049
864	0.101
1180	0.028
1166	0.024
889	0.012

(1)	(2)
888	0.097
1064/2	0.012
921/3	0.085
976	0.045
1067	0.093
1169/1	0.045
1140	0.045
931/1	0.040
931/2	0.020
977	0.040
997	0.121
1165	0.024
1140/2	0.053
998	0.040
999/2	0.012
999/1	0.012
1000/1	0.040
1012	0.040
1155	0.069
1009	0.081
1011	0.012
1070/1	0.045
1072/2	0.012
1188	0.049
1181	0.024
1188/1	0.024
1093	0.024
1096	0.045
1164	0.045
1188/2	0.024
1094	0.040
1169/2	0.020
1162	0.045
1163	0.045
योग	2.481

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-चांपी जलाशय के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 मार्च 2005

क्रमांक 18/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-पोड़ी, प.ह.नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.218 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
333/1	0.028
333/2	0.028
351/1	0.081
351/2	0.020
350	0.117
349/1 ख	0.040
349/2 ग	0.040
349/2 क	0.024
349/2 ख	0.028
116	0.040
348	0.008
115	0.040
110/9	0.405
347	0.012
139	0.024
138	0.045
575	0.040
558	0.061
110/7	0.028
578/2	0.008
579	0.061
334/3	0.040
योग	1.218

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-चांपी जलाशय के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 मार्च 2005

क्रमांक 19/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-सेमरा, प.ह.नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.101 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
575	0.081
571/3	0.020
योग	0.101

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-चांपी जलाशय के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 6 जनवरी 2005

क्रमांक 3/अ-82/99-2000.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-बगीचा
- (ग) नगर/ग्राम-पाकरटोली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.989 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
138/6	0.020
138/12	0.113
142/6	0.008
138/7	0.105
136/3	0.004
136/2	0.004
137/1	0.024
137/2	0.117
157/1	0.125
125	0.049
142/5	0.024
145	0.057
156	0.234
138/10	0.100
149	0.089
150/2	0.008
150/3	0.081
151	0.105
157/2	0.040
158	0.008
160/5	0.121
162/1 क	0.193
138/11	0.360
योग 23	1.989

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-लोवरसीरी व्यपवर्तन योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 6 जनवरी 2005

क्रमांक 04/अ-82/99-2000.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-बगीचा
- (ग) नगर/ग्राम-कोरंगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.979 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	204/1	0.20
	204/6	0.22
	204/14	0.63
	204/17	0.20
	204/18	0.12
	293	0.20
	298/1	0.13
	298/3	0.06
	298/4	0.06
	298/5	0.06
	389/1	0.20
योग	11	0.979

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-लोवरसीरी व्यपवर्तन योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 6 जनवरी 2005

क्रमांक 05/अ-82/99-2000.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-बगीचा
- (ग) नगर/ग्राम-कोरंगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.727 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	133	0.137
	135	0.137
	136	0.113
	137/1	0.045
	137/2	0.052
	137/3	0.045
	138	0.121
	139	0.016
	140	0.061
योग	9	0.727

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-लोवरसीरी व्यपवर्तन योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 6 जनवरी 2005

क्रमांक 06/अ-82/99-2000.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-बगीचा
- (ग) नगर/ग्राम-कोरंगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.101 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	128/11	0.809
	128/14	0.809
योग	2	0.101

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-लोवरसीरी व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 6 जनवरी 2005

क्रमांक 07/अ-82/99-2000.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-बगीचा
- (ग) नगर/ग्राम-कोरंगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.851 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	141	0.05
	142	0.15
	128/7	0.12
	186/1	0.30
	198	0.18
	197/2	0.19
	197/1	0.45
	211/1	0.09
	211/2	0.22
	215	0.17
	285	0.27
	306/1	0.34
	262/1	0.55
	307	0.80
	349/1	0.27
	351	0.15
	353	0.15
योग	18	1.851

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-लोवरसीरी व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 6 जनवरी 2005

क्रमांक 08/अ-82/99-2000.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-बगीचा
- (ग) नगर/ग्राम-कोरंगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.850 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
86	0.10
87	0.19
88/1	0.20
92	0.13
91	0.30
104	0.05
118/1	0.22
118/4	0.17
119/2	0.10
121/1	0.22
125	0.05
127/2	0.17
128/5	0.20
योग 13	0.850

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-लोवरसीरी व्यपवर्तन योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 6 जनवरी 2005

क्रमांक 15/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जशपुर
   (ख) तहसील-जशपुर
   (ग) नगर/ग्राम-सोनक्यारी, प.ह.नं. 7
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.471 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1014/1	0.036
1014/2	0.056
1014/3	0.069
1014/4	0.044
1018	0.048
1015	0.150
1016/1	0.020
1038	0.048
योग 8	0.471

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सन्ना-सोन-क्यारी पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 6 जनवरी 2005

क्रमांक 16/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जशपुर
   (ख) तहसील-जशपुर
   (ग) नगर/ग्राम-जशपुर, प.ह.नं. 28
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.259 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
494	0.259
योग 1	0.259

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मवेशी बाजार हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 6 जनवरी 2005

क्रमांक 610/बी-121/03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-जशपुर
- (ग) नगर/ग्राम-गमरिया डोड़काचौरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.275 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
114/1	1.40
200/1 क	1.64
200/1 ख	0.60
201/1	3.04
202/1	2.60
237	0.99
238	0.64
योग 7	4.275

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सर्वसुविधा-युक्त आवासीय परिसर का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/ भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 6 जनवरी 2005

क्रमांक 12/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-बगीचा
- (ग) नगर/ग्राम-कुरूमढोंढा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.646 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
188/9	0.336
190	0.113
191/3	0.348
191/1	0.202
192	0.470
194	0.801
191/2	0.040
196/3	0.652
198	0.684
योग 9	3.646

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बेलसुंगा तालाब योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 6 जनवरी 2005

क्रमांक 13/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-बगीचा
- (ग) नगर/ग्राम-रनपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.367 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
863/1	0.235
863/2	0.170
863/3	0.081
809/3	0.190
809/2	0.077
868	0.057
871	0.121
874/1	0.097
773	0.186
716	0.214
874/2	0.053
655	0.101
873	0.053
771/1	0.040
771/2	0.036
771/3	0.036
768	0.328
719	0.081
721/1	0.057
740/2	0.036
721/2	0.045
749	0.138
743	0.008
736/1	0.057
736/2	0.057
733/2	0.057
733/2	0.057
656/3	0.085
653	0.457
654/878	0.101
654	0.101
342	0.178
351	0.089
352/1	0.113
(1)	(2)
742/2	0.016
531/1	0.097
748/2	0.040
537	0.049
536	0.049
538	0.089
539	0.138
559/1	0.024
559/2	0.016
562/1	0.053
563	0.173
564	0.045
584	0.020
583	0.089
582	0.065
581/2	0.053
297	0.040
314	0.089
310	0.069
316/1	0.109
750	0.028
317	0.129
309/1	0.089
योग	5.367

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रनपुर एवं कुदमुरा शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.